भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. - /2016 नि - 1253 - III - 16

1. श्रीमती गुणवंती बाई चावडा पत्नी स्व. गोपालजी चावडा, आयू लगभग 76 वर्ष, व्यवसाय - गृहकार्य,
2. अतुल चावडा पिता स्व. श्री गोपालजी चावडा आयु लगभग 45 वर्ष, व्यवसाय - नौकरी
   निवासीगण - 1, कवेलू कारखाना, नीलगंगा, उज्जैन ।
   हाल मुकाम-फ्लेट क्र.16, एस विंग, गुदावरी राज पार्क मोरया गोसावी फेस-1, चिंचवड पुणे, महाराष्ट्र ।
3. दीपक चावडा पिता स्व. श्री गोपालजी चावडा आयू लगभग 51 वर्ष, व्यवसाय - कुछनही
   निवासी - 1 कवेलु कारखाना, नीलगंगा उज्जैन

------ आवेदकगण

श्री Jitendra Sharma द्वारा आज दि. 20.4.16 को प्रस्तुत
20-4-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय, कोठी पेलेस, उज्जैन ।
2. श्री संजय शर्मा तहसीलदार तहसील उज्जैन कोठी पैलेस उज्जैन

------ अनावेदकगण

Jitendra Sharma
Jitendra Sharma
20.4.16

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 8 के अंतर्गत याचिका

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील व जिला उज्जैन (श्री संजय शर्मा) के द्वारा प्रकरण क्रमांक 303/बी-121/2015-16 में प्रचलित प्रकरण की अवैध कार्यवाहियो से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित आधारों पर यह याचिका निम्नुसार सादर प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय महोदय,

संक्षेप में प्रकरण निम्नानुसार है कि आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्यं की कस्बा उज्जैन प.ह.न. 38 की भूमि सर्वे क्रमांक 3632/1, 3632/3, 3633, 3634/1, 3634/4, 3636, 3678, 3683/4, 3679, 3680, 3683/2, 3681, 3682, 3683/1-मि., 3683/3, 3685मि., 3686मि., 3695, 3697, 3698, 3708, 3709, 3710 कुलकिता 23 कुल रकबा 25.198 हेक्टेयर भूमि तात्कालीन शासन द्वारा डिप्टी कमिश्नर, कस्टम एण्ड एक्साइज़, प्रांत मालवा, ग्वालियर गवरमेंट के द्वारा की गई सार्वजनिक नीलामी में 1930 में क्रय की गई ।

यह कि उक्त सर्वे नंबर की भूमियो को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार उज्जैन (सुनील पाटिल) द्वारा प्रकरण क्र. 51/अ-6/2013-14 में पूर्णतः अधिकारिता विहीन, मृत व्यक्तियो को पक्षकार के रूप में मान्य करते हुए एवं मध्य प्रदेश शासन की ओर से जिलाधीश के स्थान पर मध्य

XXIX(a)-BR(H)-11

(514)

राजस्व म... प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1253-तीन/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	